उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग,
संख्या- 12/1636/92-2014-82(जांच)/2013,
लखनऊ: दिनांक: 15 मई, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद मथुरा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत पैकेजों पर प्राप्त निविदाओं में की गयी अनियमितताओं, ग्राम्य विकास अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या-पी-259/अड़तीस-9-13-15पीएमजीएसवाई/2013, दिनांक 07-3-2013 का उल्लंघन करते हुए दिनांक 22-4-2013 को निविदा की वित्तीय मूल्यांकन रिपोर्ट पार्ट-2 उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण से अनापत्ति प्राप्त किये बगैर अपलोड करने, निविदाओं के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों को छिपाये जाने आदि से सम्बन्धित कारित अनियमितताओं एवं अपकृत्यों के लिये शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2986/92-2013-82(जांच)/2013, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 द्वारा श्री डी0के0 वर्मा, मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ (मथुरा निविदा मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष) के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच के सम्पादनार्थ प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया था।

2- प्रकरण की जांच हेतु नामित जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 29-3-2014 शासन को उपलब्ध करायी गयी, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अपचारी अधिकारी श्री डी0के0 वर्मा द्वारा निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अपना बचाव उत्तर जांच अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा जांच अधिकारी को सम्बोधित अपचारी के पत्र दिनांक 10-3-2014 में यह अनुरोध किया गया है कि अपचारी का प्रत्यावेदन शासन स्तर पर विचाराधीन है तथा जब तक प्रत्यावेदन के निस्तारण की कार्यवाही शासन स्तर से नहीं होती है, तब तक जांच प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही न की जाय। जांच अधिकारी द्वारा अपचारी अधिकारी श्री डी0के0 वर्मा का बचाव उत्तर प्राप्त किये बगैर मात्र उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अपनी एकपक्षीय जांच आख्या दिनांक 29-3-2014 शासन को उपलब्ध करायी गयी। प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने हेतु अपचारी अधिकारी श्री डी0के0 वर्मा, मुख्य अभियन्ता, (पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अपना प्रत्यावेदन दिनांक 21-12-2013 अनुशासनिक प्राधिकारी/प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत किया गया था।

http://shasandesh.up.nic.in

3- श्री डी0के0 वर्मा, द्वारा अनुशासनिक प्राधिकारी/प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन दिनांक 21-12-2013 में अधिरोपित आरोपों के सम्बन्ध में दोष स्थापित न होने की स्थिति स्पष्ट करते हुए यह अनुरोध किया गया है कि उनके विरूद्व प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त कर दी जाय। श्री वर्मा द्वारा प्रत्यावेदन में उल्लिखित तथ्यों एवं आरोपित बिन्दुओं/प्राप्त जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि श्री वर्मा पर अधिरोपित आरोप स्थापित नहीं होते हैं। अत: सम्यक् विचारोपरान्त श्री वर्मा के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2986/92-2013-82(जांच)/ 2013, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 द्वारा प्रचलित प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-12/1636(1)/92-2014-तद्दिनांक:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री डी0के0 वर्मा, मुख्य अभियन्ता, (पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

अखिलेश अग्निहोत्री
उप सचिव।

http://shasandesh.up.nic.in